[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

संख्या 18/2025-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि.......(अ).- केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: –

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये नियम 1 नवंबर, 2025 से लागू होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम 9 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"9क. इलेक्ट्रॉनिक रीति से रजिस्ट्रीकरण की स्वीकृती. - नियम 9 में अंतर्विष्ट के सिवाए, जिस भी व्यक्ति ने नियम 8 या नियम 12 या नियम 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उसे डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंड के आधार पर सामान्य पोर्टल पर पहचान होने पर, आवेदन जमा करने की तारीख से तीन कार्य-दिवस के अंदर सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रीति से रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों में, नियम 10 के उपनियम (1) में, शब्दों और अंक "नियम 9 के अन्तर्गत," शब्दों के पश्चात, शब्दों, अंकों और अक्षरों "नियम 9क और नियम 14क," को अंतःस्थापित किया जायेगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 14 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"14क. उन करदाताओं के लिए विकल्प जिनका निर्गम कर दायित्व तय सीमा से कम है.-

(1) कोई व्यक्ति जिसने नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है और जो यह निर्धारित करता है कि उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को प्रदायित माल या सेवाओं या दोनों पर उसका केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर और उपकर का कुल निर्गम कर दायित्व दो लाख पचास हजार रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है, उसे इस नियम के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का विकल्प होगा।

(2) धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति, जिसने आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुना है, इस नियम के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) नियम 11 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसी स्थायी लेखा संखायंक से उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियम के अधीन दूसरा रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होगा।

(4) आधार संख्या के सफल प्रमाणीकरण के पश्चात, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

(5) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उप-नियम (1) के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहृण चाहता है, उसे प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 में, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित या विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन फाइल करना होगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा आवेदन फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने प्रस्तुत न किया हो, -

(क) कम से कम तीन माह की अवधी के लिए रिटर्न, जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 से पहले फाइल किया गया हो;

(ख) कम से कम एक कर अवधी के लिए रिटर्न, जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद फाइल किया गया हो; और

(ग) रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से लेकर प्रत्याहृण के लिए आवेदन की तारीख तक के समय के सभी बकाया रिटर्न:

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा आवेदन फाइल करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के खिलाफ धारा 29 के तहत कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है।

(6) जहां इस नियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में दिए गए विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-नियम (5) के अधीन प्रत्याहृण के लिए आवेदन फाइल करने से पहले नियम 19 के अधीन विवरण को संशोधित करवाएगा।

(7) सामान्य पोर्टल पर डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, आधार संख्या या बायोमेट्रिक-आधारित आधार के प्रमाणीकरण से संबंधित नियम 8 के उप-नियम (4क) के प्रावधान, आवेदक की तस्वीर लेने के साथ-साथ प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में रजिस्ट्रीकरण आवेदन के साथ अपलोड किए गए

दस्तावेजों की मूल प्रति का सत्यापन, जहां तक हो सके, उप-नियम (5) के अधीन प्रत्याह्रण के लिए फाइल किये गए आवेदन पर लागू होंगे।

(8) नियम 8 के उपनियम (5) और उपनियम (6) के अभिस्वीकृति से सम्बंधित प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, उपनियम (5) के अंतर्गत फाइल किये गए आवेदन पर लागू होंगे।

(9) उपनियम (5) के अधीन प्रत्याह्रण के लिए फाइल किये गए आवेदन का सत्यापन नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(10) उप-नियम (9) के अंतर्गत सत्यापन के पश्चात, उचित अधिकारी उप-नियम (1) के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प से प्रत्याह्रण के लिए आवेदन को अनुमति देते हुए प्ररूप जीएसटी आरईजी-33 में आदेश या नियम 9 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश, यथास्थिति, जारी करेगा, जोकि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसे उप-नियम (10) के अधीन प्रत्याह्रण की अनुमति देने वाला आदेश प्राप्त हुआ है, वह उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को प्रदायित माल या सेवाओं या दोनों पर निर्गम कर दायित्व, जोकि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निर्गम कर दायित्व से अधिक है, का विवरण प्रस्तुत करने में, उस महीने के पहले दिन जिसमें उक्त आदेश जारी किया गया है, से सक्षम होगा।

(12) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसे उप-नियम (10) के अधीन आदेश जारी किया गया है, निर्गम कर दायित्व के संबंध में दिए गए ब्यौरे में संशोधन नहीं करेगा जिससे कि जिस माह में उक्त आदेश जारी किया गया है उससे अगले माह के प्रथम दिन से पूर्व की अवधि के लिए निर्गम कर दायित्व उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निर्गम कर दायित्व की सीमा से अधिक हो जाए।

(13) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्याहरण के आवेदन को फाइल करने के बाद उचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की कार्यवाही शुरू की गई है और उक्त कार्यवाही लंबित है, उप-नियम (5) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा फाइल किये गए प्रत्याहरण आवेदन को उचित अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाएगा और मान्य आधार पर आवेदन के अनुमोदन से संबंधित नियम 9 के उप-नियम (5) के प्रावधान, ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे।"

5. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में, -

(क) "प्ररूप जीएसटी आरईजी -01" शब्द, अक्षरों और अंकों के पश्चात् और "रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन" शब्दों से पूर्व, "*[नियम 8(1) देखें]*" कोष्ठक, शब्दों और अंकों के स्थान पर "*[नियम 8(1) और 14क देखें]" कोष्ठक,* शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) भाग-ख में, सारणी में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"4.1	नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प	हाँ ☐ ☐ नहीं
4.1.1	नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा ☐ मैं घोषणा करता / करती हूँ कि पूर्वोक्त कारबार नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के विकल्प के लिए अधिनियम या नियमों में निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करेगा।"; और	

(ग) “रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश” शीर्षक के अंतर्गत, क्रम संख्या 8 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“8क. नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने वाले किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या का ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण से करना होगा।”

6. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-02 में, “प्ररूप जीएसटी आरईजी -02” शब्द, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, “*[नियम 8(5) देखें]*” कोष्ठक, शब्दों और अंकों के स्थान पर “*[नियम 8(5) और 14क देखें]” कोष्ठक,* शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्ररूप जीएसटी आरईजी-03

[नियम 9(2), 19(2) और 14क देखें]

निदेश संख्या   तारीख

सेवा में,

आवेदक का नाम,

पता,

जीएसटीआइएन / जीएसटीपी आइडी (यदि उपलब्ध हो),

आवेदन निदेश संख्या

अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के लिए नोटिस

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण/प्रत्याहृण के आवेदन से संबंधित

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए रजिस्ट्रीकरण /संशोधन/रद्दीकरण/ प्रत्याहृण के लिए आवेदन के निदेश अनुसार है। विभाग ने आपके आवेदन की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह संतुष्ट नहीं है:

1.

2.

3.

☐ आप तारीख .... तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किए जाते हैं।

☐ *आप तारीख .... को .... समय पर अधोहस्ताक्षरित के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किए जाते हैं।

यदि निर्धारित तारीख तक कोई जवाब नहीं आता है या आपके विरुद्ध धारा 29 के अधीन कार्यवाही आरंभ की जाती है, तो आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि इस मामले में कोई और नोटिस/स्मरण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पद नाम

अधिकारिता

*नए रजिस्ट्रीकरण आवेदन और प्रत्याहृण के लिए लागू नहीं।"

8. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-04 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-04

[नियम 9(2), 19(3) और 14क देखें]

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण/प्रत्याह्रण के लिए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज

1.	नोटिस के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
2.	आवेदन के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन / जीएसटीपी आइडी यदि लागू हो				
4.	कारबार का नाम (विधिक)				
5.	व्यापार नाम, यदि कोई हो				
6.	पता				
7.	क्या रजिस्ट्रीकरण या फील्ड के लिए आवेदन में कोई उपांतरण अपेक्षित है				हाँ ☐ नहीं ☐ (एक पर निशान लगाएँ)
8.	अतिरिक्त जानकारी				
9.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची				
10.	सत्यापन				
	मैं .... सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्त ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर नाम पद नाम / प्रास्थिति स्थान: तारीख:				

टिप्पण: -

1. नए रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल रजिस्ट्रीकरण आवेदन संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगा यदि मद 7 में विकल्प हाँ चुने।

2. रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संशोधन के लिए आशायित फील्ड संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगी यदि मद 7 में विकल्प हाँ चुने।
3. नियम 14ए के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याह्रण के लिए मद निष्क्रिय 7 होगा।"

9. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-05

[नियम 9(4), 19(4), 23(2)(ख) और 14क देखें]

निदेश संख्या

सेवा में,

आवेदक का नाम,
पता,
जीएसटीआईएन / जीएसटीपी आइडी (यदि उपलब्ध हो),

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण/प्रत्याह्रण के लिए आवेदन की अस्वीकृती का आदेश

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए जवाब के निदेश अनुसार है। विभाग ने आपके जवाब की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह संतुष्ट नहीं है:

1.

2.

3.

.......इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।
या

आपके निदेश संख्या तारीख द्वारा जारी नोटिस का जवाब उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया गया है। इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

अधिकारिता"

10. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटी आरईजी -32

[नियम 14क (5) देखें]

प्रत्याह्रण के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3.व्यापार का नाम, यदि कोई है	
4. कारबार के मूल स्थान का पता	
5. नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प	
(i) हाँ	☐
(ii) नहीं	☐
6.आधार सत्यापन	
(i) प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (स्वतः)	

(ii) प्रमोटर/भागीदार (स्वतः)	
7. प्रत्याहृण का कारण	(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए प्रदाय से संबंधित निर्गम कर दायित्व दो लाख पचास हजार रुपए प्रति माह से अधिक है। (ii) अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें
8. सत्यापन मैं ………………………………………………. सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि मैं नियम 14क के उप-नियम (1) के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहृण करना चाहता/चाहती हूँ और मैं समझता/समझती हूँ कि नियम 8 के उप-नियम (4क), उप-नियम (5) और उप-नियम (6) तथा नियम 9 में दिए गए आवेदन के सत्यापन और व्यवसायिक स्थलों के भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रावधान और संबंधित प्रक्रियाएँ तथा समय अवधि मेरे प्रत्याहृण के लिए आवेदन पर लागू होंगे। प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर नाम पद नाम / प्रास्थिति स्थान तारीख	

प्रत्याहृण के लिए आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. 'नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के विकल्प' फ़ील्ड में, सामान्य पोर्टल पर हाँ का विकल्प निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
2. स्थायी लेखा संख्यांक को आयकर डेटाबेस के साथ सत्यापित किया जाएगा।
3. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी और एक चयनित प्रमोटर या भागीदार का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।"
4. नियम 14क के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याहृण के लिए आवेदन करने से पहले,

आवेदन की तारीख तक सभी लंबित रिटर्न प्रस्तुत करने होंगे। प्रत्याहरण के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम तीन माह की अवधी के लिए, जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 से पहले फाइल किया गया हो, और कम से कम एक कर अवधी के लिए, जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद फाइल किया गया हो, रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. कृपया सुनिश्चित करें कि प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 फाइल करने के समय कोई संशोधन आवेदन लंबित न हो।
6. एक बार प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 फाइल करने के बाद, किसी भी संशोधन आवेदन को अनुमति, प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 के अधीन आवेदन के निपटारे तक, नहीं दी जाएगी।
7. एआरएन केवल तभी जनरेट किया जाएगा जब आधार नंबर का ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो या बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी हो, साथ ही प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति का सत्यापन भी हो गया हो।"
8. कृपया ध्यान दें कि एक बार प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 फाइल करने के बाद आवेदन के निपटारे तक रद्दीकरण आवेदन फाइल करने की अनुमति नहीं होगी।
9. यदि धारा 29 के अधीन कार्यवाही का आरंभ किया गया है, तो प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 में प्रत्याहरण का आवेदन फाइल करने की अनुमति नहीं होगी।"

11. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटी आरईजी -33

[नियम 14क (10) देखें]

निदेश संख्या तारीख

सेवा में,

नाम,

पता,

रजिस्ट्रीकरण संख्या (जीएसटीआइएन),

एआरएन   तारीख

नियम 14 क के उपनियम (1) के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याह्रण का आदेश

इसका संदर्भ आपके आवेदन संख्या ------ तारीख ------ से है, जो नियम 14क के उप-नियम (1) के अधीन लिए गए विकल्प से प्रत्याह्रण के संबंध में नियम 14क के उप-नियम (6) के अधीन प्रस्तुत किया गया था। आपके आवेदन की परीक्षा की गई है गया और इसे नियम 14क के उप-नियम (11) के प्रावधानों के अधीन स्वीकार कर लिया गया है। संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आपके डैशबोर्ड पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

अधिकारिता

तारीख :

स्थान :”

[फा.स.सीबीआइसी-20013/3/2025-जीएसटी]

(कंगाले शृंखला मोतीराम)

निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 , खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 19 जून, 2017 के द्वारा संख्या सा.का.नि. 610(E), दिनांक 19 जून, 2017 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 13/2025–केन्द्रीय कर, दिनांक 17 सितंबर, 2025 के द्वारा संख्या सा.का.नि. 672(E), दिनांक 17 सितांबेर, 2025 में किया गया था।